संख्या–13/1/97–का–1/2012

प्रेषक,

राजीव कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1)समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
(2)समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
(3)समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

कार्मिक अनुभाग--1 लखनऊ :: दिनांक 19 अप्रैल, 2012

विषयः--सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध प्राप्त शिकायती पत्रों का निस्तारण।

महोदय,

कृपया समूह 'क' के अधिकारियों एवं समूह 'ख', 'ग' तथा 'घ' के सरकारी सेवकों के विरूद्ध प्राप्त शिकायती पत्रों के निस्तारण हेतु कार्मिक विभाग के शासनादेश दिनांक 09 मई,1997 तथा दिनांक 01 अगस्त, 1997 (सुलभ संदर्भ हेतु प्रतिलिपियाँ संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. उल्लेखनीय है कि रिट याचिका संख्या–4372(एस0एस0)/2011 कुमदेश कुमार शर्मा बनाम् उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 03.01.2012 को आदेश पारित करते हुए निम्नवत् observations किये गये हैं:–

Before parting with the matter, this court would like to observe that the Government Orders dated 09.05.1997 and 01.08.1997, which encompass group 'Kha' 'Ga' and 'Gha' employees of the State Government also, provide for adequate caution to be taken by the authorities concerned while inquiring into the complaints made against the government officers/employees of different categories. However, from the averments made in the counter affidavit filed by the respondents in the instant case, it is clear that the said procedure as provided in the government orders dated 09.05.1997 and 01.08.1997 was not followed. A perusal of the complaint made by Sri Ajay Kumar which has been annexed as anneuxre No. 4 to the writ petition reveals that the said complaint does not even bear the address of the complainant. The purpose of issuance of the aforesaid two government orders is not only to safegaurd the government officers from unnecessary harassment but also to curb the tendency of making frivolous and anonymous complaints against the government servants. The State Government and its authorities by not following the procedure prescribed in the

aforesaid government orders are doing disservice to the society and as such, it would be appropriate to issue a direction to the State Government to ensure that the procedure provided in the Government Orders dated 09.05.1997 and 01.08.1997 is adhered to. Accordingly, a direction is issued to the State Government to strictly follow the procedure prescribed under the aforesaid two government orders.

3. अतएव, इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सरकारी सेवकों के विरूद्ध प्राप्त शिकायती पत्रों के निस्तारण के प्रत्येक मामले में उपरिसन्दर्भित शासनादेशों दिनांक 09 मई,1997 एवं दिनांक 01 अगस्त, 1997 में वर्णित प्रक्रिया का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें ।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय,

राजीव कुमार
प्रमुख सचिव।

संख्या–13 / 1 / 97(1)–का–1 / 2012, तद्दिनांक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. निबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, लखनऊ बेंच लखनऊ।
2. प्रमुख सचिव, राज्यपाल महोदय, उत्तर प्रदेश ।
3. कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश ।
4. प्रमुख सचिव, विधान सभा / विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
5. सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
6. मीडिया सलाहकार, मा0 मुख्य मंत्रीजी ।
7. निदेशक, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश।
8. नियुक्ति अनुभाग–6, उ0प्र0 शासन को कार्मिक विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कराने के प्रयोजनार्थ प्रेषित।
9. महाधिवक्ता, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
10. अपर महाधिवक्ता, उ0प्र0, इलाहाबाद / लखनऊ पीठ, लखनऊ।
11. सचिवालय के समस्त अनुभाग।

संलग्नक : यथोपरि।

आज्ञा से,

(एच0एन0–गुप्ता)
विशेष सचिव।

www.bhartiyashasnadesh.org